नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या :– 162/2020 प्रा०पत्र

भागु पुत्र हजारी जाति कुम्हार उम्र बालीग नि० कुवाला तह०करेडा

प्रार्थी.......

बनाम

मदन पुत्र मोहन बालाई उम्र बालीग नि० मियाफलास/कान्हेडा तह०करेडा व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मियाफलास/ सामूहि पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नम्बर 2957, 2958, 2959 कुल किता3रकबा......... बीघा हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा स्पष्ट नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/09/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को सुना। प्रार्थना से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये तार्किक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... मियाफलास/काणखेड़ा......... पटवार हल्का.........गोरख्या.............. तहसील करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2957, 2958, 2959 कुल किता 03 रकबा............ बीघा हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.........गोरख्या.........को 650 /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावेंगे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिती में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये तरमीम बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:29 IST
Reason: SelfAttested